ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292 PP. NO.- 323-326
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

पुलिसिया पंचतंत्र एवं जनता

बजरंग बहादुर सिंह

पी0एच0डी0– समाजशास्त्र विभाग, ग्रा0 व पो0 गद्दोपुर,बिलरियागंज, आजमगढ़ (उ0प्र0), भारत

Received- 24.07.2020, Revised- 27.07.2020, Accepted - 30.07.2020 E-mail: dr.bajrangbhadur@gmail.com

सारांश : *अभी कुछ ही दशक पहले की बात है कि गांव–मुहल्लों में पुलिस के सिपाही को भी देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे या घरों में छुप जाते थे। बच्चों में तो भगदड़ मच जाती थी, जिन्हें होश संभालने के पहले से ही पुलिस से डरना सिखाया जाता था। 'भागो, पुलिस आई' का मुहावरा हुआ करता था। यह देश के मानस में अंग्रेजी की सामंती पुलिस की स्मृतियों का अवशेष था। अभी का मुहावरा है– मारो, पुलिस आई! पुलिस के प्रति अविश्वास और गुस्सा आज इतना है कि गालियां तो आम बात हैं, उसकी छोटी–छोटी गलतियों पर लोग पत्थर उठा लेते हैं। गलतियां न भी हों, तो गैरकानूनी हरकतें रोकने के दौरान भी पुलिस को मार ही खानी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में पुलिस और पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमले बेतहाशा बढ़े हैं। पुलिस का दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद उसे इन्हीं दो अतियों के बीच काम करना पड़ा है। पुलिस का ही क्यों, यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में पुलिस की त्राता, मित्र और सहयोगी की जो छवि बननी चाहिए थी, वह कभी बन ही नहीं पाई। पुलिस और नागरिकों के बीच का यह फासला और अविश्वास समाज में उद्दंडता और अराजकता बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक है।*

कुंजीभूत शब्द– भगदड़, मुहावरा, मानस, सामंती, स्मृतियों, अवशेष, अविश्वास, गालियां तो, गैरकानूनी ।

पुलिस की छवि समाज के रक्षक के रूप में अपेक्षित हैं, परन्तु वह अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि में लिप्त पायी जाती है। पुलिस की विश्वसनीयता की अपेक्षा उनसे सामान्यजन में भय की भावना जागृत होती है। पुलिस में कर्तव्यनिष्ठा की अपेक्षाकृति कर्तव्य विमुखता का प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है। पुलिस अन्य प्रकार के क्रियाओं से अपनी षक्ति का दुरूपयोग करती रहती है यथा विवादित भू–भाग व मकानों पर कब्जा दिलाना तथा उसे खाली कराना, ट्रेनों आदि में जगहों को व्यस्थित कराना, व्यक्तिगत स्तर पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु धमकाना और कुछ लोगों के निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु उनसे मोटी रकम लेना, एफ0आई0आर0 पंजीकृत करने के लिए शुल्क लेना तथा इसी आधार पर किसी केश को कमजोर व मजबूत कर देना। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि जानने हेतु जनता में सर्वेक्षण कराया जिसके निश्कर्श में 94 प्रतिशत से अधिक लोगों ने पुलिस को बेईमान घोषित किया 1 प्रतिषत से कम लोगों ने पुलिस की ईमानदारी में विश्वास है, 13 प्रतिशत जनता ने बताया कि उन्हें पुलिस सहायता की आवश्यकता पड़ी लेकिन भ्रश्टाचार[1], अक्षमता और उत्पीड़न[2], को ध्यान में रख कर सम्पर्क नहीं किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि अगर सभी जरूरतमंद पुलिस सहायता लेने पहुँचे तो विभाग में 81 प्रतिशत कार्यभार बढ़ जायेगा। पुलिस को भ्रष्टाचार संस्था का तगमा देते हुये इस सर्वेक्षण में कहा गया कि 16 प्रतिशत लोग ऐसे निकले जिनका पुलिस से व्यक्तिगत सम्पर्क था और तीन चौथाई को रिश्वत देनी पड़ी[3]। भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में गिरधारी लाल ने लिखा है कि आज अनेक पुलिस अधिकारी अनैतिक प्रभावों से सम्बन्धित है जिसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपराधियों से व्यक्तिगत समझौता करना पड़ता है।

यह कितने आष्चर्य की बात है कि लोग पुलिस से डरते हैं और पुलिस जॉच से बचने का प्रयास करते हैं।[4] पुलिस की अविश्वसनीयता यहॉ तक बढ़ गयी है कि पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को हल उनसे कराने की अपेक्षा माफियों की शरण लेना ज्यादा उचित एवं कारगर समझने लगे हैं। माफियों की समानान्तर सरकार पुलिस पर इतनी हावी है कि इन माफियों के विरूद्ध एक गवाही जुटाना पुलिस के लिए अत्यन्त टेढ़ी खीर एवं चुनौती भरा कार्य बन गया है।[5] इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायधीश ने एक निर्णय में कहा था "पुलिस अपराधियों को एक संगठित समूह है।" यही कारण है कि पुलिस के विरूद्ध जनाक्रोश, उनके नैतिक मूल्यों में गिरावट, चारित्रिक पतन तथा भ्रष्टाचार के फलस्वरूप उभरता है।

पुलिस की छवि को साफ–सुथरी बनाने और जनता के साथ साझेदारी बनाने हेतु 17 जनवरी 1995 लुधियाना (पंजाब) के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

अधिकारियों के साथ, स्कूली बच्चों की एक सभा में पुलिस अधिकारी घबराहट पैदा करने वाले प्रश्नों के उत्तर देने और समाज में रोजाना समस्याओं के समाधान में अपने व्यवहार को स्पश्ट करने में असमर्थ थे कि–

1– पुलिस अधिकारी भ्रष्ट क्यों होते हैं ?

2– थाने में प्राथमिकी एफ0आई0आर0 तुरन्त दर्ज क्यों नहीं की जाती है ?

3– पुलिस अतिविशिष्ट व्यक्तियों (VIP) के पुत्र–पुत्रियों के अपराधों के प्रति अपनी ऑखें क्यों बन्द कर लेती है ?

4– वे सामान्य नागरिकों को उनकी छोटी–सी त्रुटियों के लिए भी क्यों पकड़ लेते हैं ?

5– वे जॉच–पड़ताल के बीच संदिग्ध व्यक्तियों की हड्डियॉ क्यों तोड़ते हैं ?

6– पुलिसकर्मी फल और सब्जियॉ खरीदने या राज्य परिवहन की बसों में चढ़ने पर पैसा भुगतान क्यों नहीं करते हैं ?

इन प्रश्नों ने पुलिस अधिकारियों को न केवल आभास कराया कि सीधे प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा अपराधियों को स्वीकारोक्ति करवाना अधिक सरल होता है, बल्कि यह तथ्य भी कि छोटे बच्चे भी पुलिस के प्रति नकारात्मक अनुभव रखते हैं।[6]

पुलिस और जनता के बीच जनाक्रोश के कारणों में पहला है पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 पंजीकृत करने में हीला–हवाली करना होता है। बड़ी संख्या में मामलों को पंजीकृत न करने या कम गम्भीर धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत करने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अपराधों को कम से कम दर्शाना, इतने बड़े पैमाने पर होता है कि आकड़ों से अपराधों की दशा का बहुत थोड़ा बोध हो पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण निठारी गॉव (नोएडा) की घटना है जहॉ 30 माह के अन्तराल में 38 बच्चे गुम हो गये जिसकी गुमशुदी तक नहीं लिखी गयी। राज्य सरकारों ने कानून–व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अपराधों की संख्या को आकड़ॉ बनाया हुआ है इसलिए अपराध दर्ज न करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।[7] दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवाह ने भी कहा– ''सांख्यिकी का प्रबन्धन अपराध विरोधी उपायों के क्रियान्वयन का स्थान ले चुका है।''[8] इन्हीं स्थितियों से पुलिस जनाक्रोश का षिकार बनती है। पुलिस विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन में भ्रष्ट अधिकारियों एवं संगठित अपराधियों से मिली रहती है। श्री कल्याण सिंह अपने द्वितीय मुख्यमंत्रित्व काल में उनके निर्देष पर अपराधियों की मदद करने वाले 187 पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया तथा अपराधियों से सॉठ–गॉठ रखने वाले अन्य चिन्हित 677 पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गयी तथा 200 पुलिसकर्मियों को अपराधियों से सॉठ–गॉठ रखने के कारण बर्खास्त कर दिया गया।[9] वर्ष 2003 में 210 पुलिसकर्मियों की पहचान की गयी जिनके सम्बन्ध या तो अपराधियों से रहे या स्वयं अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये गये।[10]

पुलिस, अपराधी और राजनीतिज्ञों का गठबन्धन पुलिस की छवि को धूमिल कर रही है। श्री प्रकाश सिंह (पूर्व पुलिस महानिदेशक) ने कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस निश्पक्षता से काम नहीं कर पाती है। जो भी पार्टी सत्ता में आयी उसने देखा कि पुलिस राजनैतिक स्वार्थ साधने का साधन बन सकती है, इसलिए पुलिस का दुरूपयोग होता रहा और पुलिस के विरूद्ध जनता की षिकायतें बढ़ती चली गयी।[11] इस सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी (पूर्व पुलिस महानिदेषक) ने भी कहा कि लम्बे समय तक सत्ताधारी दल द्वारा पुलिस तन्त्र के मनमाने दुरूपयोग होने से पुलिस दक्षता और निष्पक्षता पर से जनता का भरोसा उठ गया।[12] श्री आर0आर0 प्रसाद (पूर्व पुलिस महानिदेशक बिहार) ने कहा '' मैं द्रौपदी के चीर हरण सभा में बैठा एक लाचार योद्धा हूँ।''[13]

उक्त परिस्थितियॉ तथा जन समस्याओं के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता आदि जनाक्रोश को बढ़ाती है।

स्वतंत्रता के बाद सभी पुलिस महानिदेशकों की एक समिति 1961 गठित कर पुलिस अधिकारियों एं कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु 12 आचार–संहिता (Code of Conduct) बनायी जिसे 1963 में सभी राज्यों में वितरित कर दिया गया–

1– भारत के संविधान के प्रति पुलिस प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का आदर करते हुये, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाय।

2– पुलिस पारित विधानों को लागू करवाने वाली एक अनिवार्य एजेंसी है, इसे बिना भेद–भाव, द्वेष, भय, प्रतिशोध तथा पक्षपात के दृढ़तापूर्वक विधान को क्रियान्वित करना चाहिए।

3– पुलिस को अपनी षक्तियों एवं गतिविधियों की सीमाओं का अनुपालन करना चाहिए तथा किसी प्रकार न्याय प्रणाली में अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, साथ ही दोशी को दण्ड दिलाने का कार्यवाही करनी चाहिए।

4– कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पुलिस को प्रोत्साहन परामर्श एवं चेतावनी का सहारा लेना चाहिए।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

इन उपायों की असफलता पर ही यदि नितान्त आवश्यक हुआ तो स्थिति के अनुकूल न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए।

5– पुलिस का मुख्य कार्य अपराध व अव्यवस्था पर नियंत्रण पाना है। यही उसकी दक्षता का प्रमाण है।

6– पुलिस को यह मानना चाहिए कि वे सामाजिक सदस्य हैं और अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क समाज सेवक हैं, जो सामान्यतः प्रत्येक नागरिक के ऊपर आश्रित है।

7– पुलिस को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी कार्य कुशलता सक्रिय जन सहयोग पर निर्भर है। जिस अनुपात में उसे इसमें सफलता मिलेगी, उसी अनुपालन में उसे अपने कार्यों को निपटाने में शारीरिक बल या दबाव की आवश्यकता कम पड़ेगी।

8– पुलिस के सभी लोगों के साथ एक समान बिना भेद–भाव के सहानुभूतिपूर्वक कल्याण एवं आवश्यक सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।

9– पुलिस को बराबर स्वयं की अपेक्षा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देगी, किसी उत्तेजना एवं खतरे के वक्र, धर्य, शान्ति और शीलनता के साथ उसे कार्य करना चाहिए। खतरे में फॅसें लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकना चाहिए।

10– पुलिस को हमेशा दयालु, सुसभ्य, प्रतिष्ठित, साहसी बनने के साथ ही साथ बिना किसी बन्धन के कार्य करना चाहिए तथा जनता के अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

11– पुलिस की प्रतिष्ठा का मौलिक आधार उनकी उच्चकोटि की ईमानदारी है अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में अपनी सोच एवं कर्म के प्रति सच्चाई, एवं ईमानदारी से पेश आना चाहिए ताकि जनसामान्य में अपनी छवि अनुकरणीय नागरिक के रूप में स्थापित हो सके।

12– पुलिस को स्वीकार करना चाहिए कि प्रशासन एवं देश के प्रति अपनी अधिकाधिक उपयोगिता तभी सिद्ध कर सकते हैं जब उनके द्वारा उच्चस्तरीय अनुशासन एवं आदेश का पालन किया जायेगा।[14]

गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में भारतीय पुलिस के लिए एक नवीन आचार संहिता (Code of Conduct) प्रसारित की गयी थी:

1– पुलिस को भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा रहनी चाहिए और उसके द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप नागरिकों के सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए।

2– पुलिस को किसी भी विधिवत कानून के औचित्य अथवा आवश्यकता पर संशय नहीं करना चाहिए, उन्हें बिना भय, पक्षपात, अर्थवा प्रतिशोध भाव के कानून का दृढ़तापूर्वक तथा निश्पक्षतापूर्वक लागू करना चाहिए।

3– पुलिस को अपने अधिकारों एवं कार्यों की सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उनका आदर करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के कार्यों में अनाधिकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अथवा अनाधिकार हस्तक्षेप करने का आभास नहीं देना चाहिए तथा प्रकरणों पर निर्णय देने की चेश्टा नहीं करनी चाहिए।

4– कानून पालन करवाने में अथवा व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को समझाने बुझाने, सलाह तथा चेतावनी के तरीके काम में लाने चाहिए।

5– पुलिस का प्रमाणिक कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस को यह समझना चाहिए कि उसकी दक्षता की कसौटी इन दोनों का भाव है, न कि इनसे निपटने के लिए की गयी पुलिस कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण।

6– पुलिस को यह ज्ञात होना चाहिए कि वे जानता सदस्य हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि समाज के हित में तथा उसकी ओर से उन्हें उन कर्तव्यों पर पूर्णकालिक ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया है जिनका निर्वाह करना सामान्यताः प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।

7– पुलिस को यह समझना चाहिए कि उसके कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन उस तत्पर सहायोग की मात्रा पर निर्भर करेगा, जो वह जनता से प्राप्त करती है साथ ही यह सहयोग अपने आचरण तथा कार्यों का सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्त करने, सार्वजनिक आदर तथा विश्वास अर्जित करने एवं उसे बनाये रखने की योग्यता पर ही निर्भर करेगा।

8– पुलिस को सभी के प्रति संवेदनशील तथा विचारवान होना चाहिए और उसके उसके कल्याण का सदा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उन लोगों की सम्पत्ति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किये बिना सभी को वैयक्तिक सेवा तथा मित्रता अर्पित करने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।

9– पुलिस को आत्महित से बढ़कर कर्तव्य हित को समझना चाहिए। चाहे कैसा ही संकट या उत्तेजना हो उसे शांत तथा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तत्पर रहना चाहिए।

10– पुलिस को सदा सौजन्यशील तथा सुसंस्कृत होना चाहिए। उसे विश्वसनीय तथा अनाशक्त होना चाहिए, उसमें आत्मगौरव एवं साहस होना चाहिए, उसे अपने चरित्र तथा जनता के विश्वास को विकसित करना चाहिए।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

11– उच्चतम श्रेणी की निष्ठा पुलिस की प्रतिष्ठा का मूल आधार है उसको समझते हुये पुलिस को अपने वैयक्तिक तथा शासकीय दोनों स्तरों पर आत्मसंयम विकसित करना चाहिए, विचार एवं कार्य में सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार रहना चाहिए, जिसमें कि जनता उन्हें अनुकरणीय नागरिक समझे।

12– पुलिस को यह समझना चाहिए कि वह केवल अनुशासन तथा उच्चतर स्तर, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अच्छुण आज्ञाकारिता तथा पुलिस बल के प्रति हार्दिक निष्ठा बनाये रखने और अपने आप को सतत् प्रशिक्षण एवं तैयारी की अवस्था में रखकर ही प्रशासन एवं देश के प्रति अपनी उपयोगिता बढ़ा सकती है।

13– धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र राज्य का सदस्य होने के नाते पुलिस को वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से उठने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और धर्म, क्षेत्रीय या जातीय भिन्नताओं से हट कर भारत के सभी लोगों में मैत्री भाव व समान भाईचारे की भावना का बढ़ावा देना चाहिए और समाज में नारी की प्रतिष्ठा के प्रति और पिछड़े हुए वर्गों के प्रति अनादर की प्रथा को समाप्त करना चाहिए।[15]

उपरोक्त पुलिस आचार संहिता में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन आज पुलिस के कार्य सम्पादन की व्यवहारिकता में धीरे–धीरे लोप होकर उनमें निम्नलिखित प्रवृतियॉ उभरती हुई देखी जा रही हैः

1– पुलिस का पक्षपात पूर्ण रवैया।
2– संज्ञेय अपराधों को पंजीकृत करने से बचने की प्रवृति।
3– सामान्य व्यक्ति एवं अपराधियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार।
4– भ्रष्टाचार।
5– पुलिस की सहायता करने वाले प्रत्यशील व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार।
6– पुलिस की कार्यकलापों के कारण उसकी कार्य कुशलता के बारे में लोगों की संशयवृति।
7– सुविधाशुल्क (रिश्वतखोरी)।
8– थानों में दलालों का बोलबाला।
9– पुलिस–अपराधी संलिप्तता।
10– पुलिस के नैतिक मूल्यों में गिरावट एवं चारित्रिक पतन।
11– जनता का शोषण।
12– फर्जी मुठभेड़ एवं फर्जी मुकदमें।
13– गवाहों के समुचित संरक्षण का अभाव।
14– अपराध स्वाकोरक्ति हेतु बंदी पर 'थर्ड डिग्री' का प्रयोग।
15– पुलिस लाकअप में बंदी को पीट–पीट कर लहूलूहान एवं हत्या तक कर देना।
16– पुलिस द्वारा मानवधिकार का उल्लंघन।

जेरोम स्कोलनिक ने पुलिस कर्मियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के बाद उनके व्यक्तित्व में कतिपय विषेशताऍ पायी, जिनका उल्लेख करना यहॉ अपरिहार्य लगता है–(1) शंकालू (2) रूढ़िवादिता (3) सनकी (4) पूर्वाग्रह (5) समान हैसियत के पक्षधर (6) तेज सामाजिक परिवर्तन को न चाहने वाला (7) अन्य लोगों से सामाजिक दूरी।[16] होना यह चाहिए था कि इन चीजों के अलावा उनके भीतर की मानवीयता और संवेदना को जगाने के लिए उन्हें मानविकी, मसलन समाजशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला जैसे विशयों की भी शिक्षा दी जाती। जनता एक बेहतर और मित्रतापूर्ण पुलिस व्यवस्था की आस ही लगाए बैठी है। जिस दिन उसकी उम्मीद पूरी होगी दिखेगी, वह पुलिस को अपने सर–आंखों पर बिठा लेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह : थानों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, हिन्दुस्तान 26.11.2006.
2. महिलाओं और बुजुर्गो पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियॉ बरसायी, हिन्दुस्तान 12.08.2004 व 06. 02.2005.
3. अमर उजाला–दैनिक आगरा 25.11.2002.
4. पुलिस आयोग 1977 की पॉचवी रिपोर्ट (26 नवम्बर 1980) के 41वें अध्याय।
5. राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट 1982, पृ0 14624.
6. प्रो0 राम अहमजा, मुकेश अहूजा : विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, 1998, पृ0 399–400.
7. ईश्वर चन्द्र द्विवेदी (पूर्व पुलिस महानिदेशक): पुलिस की दक्षता और निश्पक्षता गयी कहॉ? हिन्दुस्तान 08.01.2007.
8. दहिन्दुस्तान टाइम्स, 25.10.1993.
9. अपराधियों से सॉठ–गॉठः सहारा, 01 जनवरी 2003.
10. हिन्दुस्तान (दैनिक): 24.12.2003
11. हिन्दुस्तान (दैनिक): 12.02.2007.
12. ''पुलिस की निष्पक्षता गई कहॉ'' हिन्दुस्तान 08. 01.2007.
13. पुलिस सुधार–दरकार और व्यवहारः हिन्दुस्तान 12.02.2007.
14. राष्ट्रीय सहाराः 'हस्तक्षेप' (साप्ताहिक–पत्रिका) 29 जुलाई 1995.
15. उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, दिसम्बर 1996 पृ0 53
16. जेरोम स्कोलनिकः जास्टिस विदाउट ट्रायल, 19663, पृ0 42–70.

*****